

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

G.P.07
04/05/15

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2015

Deepika SinhaPetitioner.

Versus

The State of Bihar & others..... Respondents.

Synopsis of the Case

03.06.2005

The petitioner was duly appointed following rule of roster by Sukh-Sukidha Samiti (Selection Commtiy) of Gram Panchayat Makdumpur. A letter to that effect wa issued by the then Mukhia for joining of the petitioner in Makdumpur School under the said Gram Panchayat.

04.06.2005

The said letter was received in the office of Makdumpur School.

The petitioner was appointed on Matriculation basis in the lack ground of the urgent need of teacher of O.B.C. category, due to this for the purpose joining on the post an affidavit was required to be given to

acquire I.A. degree within a period of three years as per per and accordingly an affidavit to that was given by the petitioner.

18.6.2005

Regarding approval of the said appointment the then Mikhia wrote letter to the petitioner.

02.7.2005

Incharge officer Madhepura wrote letter to the District Education Superintendent, for his opinion into this matter.

Block Education Development Officer wrote letter to the District Education Superintendent for the purpose of her joining in the said school.

31.6.2005

Meanwhile, the petitioner passed I.A. Examination a certificate was issued by Intermediate Council to the petitioner.

After passing I.A. the petitioner represented before District Magistrate, Madhepura for an order to the

-III-

Headmaster of the school for acceptance of her joining.

- All the time, the petitioner was kept in false assurance that letter is going to be issued to the petitioner.

30.3.2015

At last the petitioner file appeal before Appellate Authority, which was dismissed on 30.03.2015.

Hence this application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2015

Deepika SinhaPetitioner.

Versus

The State of Bihar & others.....Respondents.

Subj:- *Apperintment (School service)*

<u>Sl. No.</u>	<u>I N D E X</u> <u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	Synopsis of the Case	1 & 11
2.	An application under Article 226 alongwith an Affidavit.	1 to 15
3.	<u>Annexure-1</u> A Photo copy of the letter No.16 dated 03.06.2005.	16
4.	<u>Annexure-2</u> A Photo copy of the letter No.18 dated 18.06.2005.	17
5.	<u>Annexure-3</u> A Photo copy of the letter dated 02.07.2005.	18
6.	<u>Annexure-4</u> A Photo copy of the letter No.63-1 dated 02.8.2005.	19
7.	<u>Annexure-5</u> A Photo copy of the certificate of Intermediate Examination.	20-21
8.	<u>Annexure-6</u> A Photo copy of the representation filed by the petitioner to the District Magistrate.	22
9.	<u>Annexure-7</u> A Photo copy of the other letter including the letter No.14 dated 30.5.2014	23
10.	<u>Annexure-8</u> A Photo copy of the order dated 30.3.2015.	24-25
11.	Vakalatnama.	

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2674



STAMP DUTY

00000

Rs. 0000305

375448

Zero*Zero*Zero*Zero*ThreeZero*Five

बिहार
JUDICIAL

-4.5.2015

BIHAR

9935 8734520

AdR.0331Y

3.5.2015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2015

In the matter of an application

under Article 226 of the Indian

Constitution.

And

In the matter of

Deepika Sinha Wife of Vijay Kumar Mehta, Resident of

villages:-Navgachhiya Tola, Police Station:-Puraini

Districts:-Madhepura Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar, through the collector of the

District Madhepura.

2. The District Education Superintendent Madhepura.
3. The District Education Extension Officer, Puraini.
4. The then Mukhia Smt. Sita Devi Gram Panchayat Makdumpur,
P.S:-Puraini District:-Madhepura.
5. The Present Mukhia Sri Anindh Mehto Gram Panchayat
Makdumpur, P.S:-Puraini, District:-Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the chief
Justice of the High Court of Judicature at Patna and his
Companion Justices of the Hon'ble High Court, Patna.

The humble petition on behalf
of the petitioner named above.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That, through this application the petitioner
seekss indulgence of this Hon'ble court for the following

Reliefs:-

(I) To issue rule in the nature of certiorary to quash the order passed by the District Teacher Employment appellate Authority by which the appeal filed against non Joining on the post of Teacher by the petitioner has been rejected.

(II) To issue Rule in the nature of mandamus commanding the respondents No.3 & 5 to allow Joining of the petitioner as a panchayat Teacher under Makdumpur Gram Panchayat and allow him to continue as panchayat shikshak in the said school, where post is vacant.

(III) To grant any other relief or reliefs to which the petitioner is legally entitled.

2.

That the following moot question ^{of} ~~in~~ law are
/

involved in the present writ application.

(i) Whether the action of the respondent No.4

was justified in not granting permission to the petitioner to join as shiksha Mitra in Makdudpur School in the background of this fact that the petitioner acquired Intermediate degree well within the period of three years from the date of appointment and before coming of rule 2006 ?

(ii) Whether the action of the respondents No. 3 and 5 was tainted with mala fide in view of this fact that under the government circular and the law laid down by this Hon'ble court, the period of three years from the date of initial appointment has been held to be the law of the land which has been endorsed by a number of Judgment of this Hon'ble court ?

(iii) Whether the respondent No. 1 was justified in sitting granting concurrence ~~xxx~~

approval regarding appointment on the post of Shiksha Mitra when she acquired Intermediate degree prior to coming of the Rule 2006?

(iv) Whether the Appellate Authority is justified to consider the case of the petitioner in the back ground of present circular of the government which is made effective from 1.7.2006 specially when the petitioner was appointed by selection committee of the Gram Panchayat but due to apathy and negligence in giving concurrence by the authority the petitioner could not join on the post of Shiksha Mitra.

(v) Whether, a legal right of a appointed candidate can be defeated, due to whimsical approach of the respondents who has acted, beyond the well accepted, prevailing law into this matter, and had been observed as panchayat Shikshak, after coming into force of the Rule 2006.

(vi) Whether the order passed by appellate Tribunal is just legal and in accordance with law ?

(viii) Whether, the Appellate Authority was justified to reject the appeal on the ground of such circular of the government which has prospective effect and not retrospective ?

3. That, the petitioner is a citizen of India, who resides well within the Jurisdiction of this Hon'ble court.

4. That, the petitioner was selected and appointed as panchyat Shiksha Mitra on Matriculation basis and after roater clearance vide letter dated 03.6.2005, the name of the petitioner alongwith others were forwarded for joining in Makdumpur Middle school under Makdumpur Gram Panchayat.

A Photo copy of the letter No.16 dated 03.6.2005 is annexed herewith and marked as annexure-1 to

this application.

5. That in the aforesaid letter the name of the petitioner was forwarded for joining to Makdumpur School and the said letter was received in the said school on 04.6.2005.

6. That since the petitioner was appointed on Matriculation basis, and had given undertaking to acquire I.A. degree with three years, the then Mukhia of Gram Panchayat vide letter No.18 dated 18.06.2005 to the collector of the District for his concurrence in such appointment.

A Photo copy of the letter No.18 dated 18.06.2005 is annexed herewith and marked as annexure-2 to this application.

7. That it is made clear that for want of non availability of lady candidate of different cast as per roster, it was held that in case of appointment on Matriculation basis, an undertaking was required to be given by

the candidate that she/he will acquire Intermediate degree w
within three years and as such, an undertaking to that effect
was also given by the petitioner.

8. That, in this context, the Incharge Officer,
Madhepura, vide letter dated 02.7.2005 directed to District
Education Superintendent cum programme co-ordinator,
Madhepura seeking his opinion into this matter.

A Photo copy of the letter dated
02.7.2005 is annexed herewith and
marked as annexure-3 to this
application.

9. That regarding approval of appointment of
Matric Passed ladies teacher, the Block Education Extensio
Officer cum Block Resource Centre Co-Ordinator Puraini,
wrote to District Education Superintendent, for the purpo
of their joining as Shiksha Mitra, in their respective
Schools.

A Photo copy of the letter No.63-1 dated 02.8.2005 is annexed herewith and as annexure-4 to this application.

10. That the petitioner passed Intermediate Examination from Intermediate Council, Bihar, Patna. A certificate with marks sheet to that effect was issued by the Intermediate Council on 31.05.2006.

A Photo copy of the Certificate of Intermediate Examination is being annexed herewith and marked as annexure-5 to this application.

11. That, after passing Intermediate Examination the petitioner represented before the District Magistrate, Madhepura, for an order to the Gram Panchayat Makdumpur to accept joining of the petitioner. Copy of the said representation was communicated to all concerned authorities.

A Photo copy of the representation filed by the petitioner to the District Magistrate is annexed herewith and marked as annexure-6 to this application.

and marked as annexure-6 to this application.

19. That inspite of positive order as well as direction with recommendation to the Headmaster of the school, ^{but he} did not allow the petitioner to join and function ⁱⁿ as Siksha Mitra ~~at~~ the said school.

13. That in fact, all the time the petitioner approached and was assured that her claim is under consieration, and a letter of approval will be given for joining. In fact a number of time ^{the petitioner} approached the Mukhia as well as ohter respondent, but on one ground or the other the p etitioner was not allowed to join.

14. That, at last the petitioner filed appeal before Appellate Authority Madhepura vide Appeal No. 11/2011 in which the appellate court was pleased to issue notice to the respondent where the matter remained pending for want of required report ^{was to be} submitted by the

concerned respondents. Regarding required report the Appellate Authority sent a number of letter including letter issued vide letter No.14 dated 30.5.2014 whereby Authority directed the District Programme Officer to ~~send~~ send report to the Appellate Authority.

A Photo copy of other letters including the letter No.14 dated- 30.5.2014 is annexed herewith and marked as annexure-7 to this application.

15. That finally, the matter was disposed of by Appellate Tribunal vide order dated 30.3.2015, on the ground that the State Government vide letter No.108 dt. 1.2.2007 has said that though the petitioner did not join on the post for want of concurrence ^{by} of the District Magistrate, but after enforcement ^{of} rule 2006, joining of the petitioner as panchayat shikshak is not possible.

A Photo copy of the order dated-
30.3.2015 is annexed herewith and
marked as annexure- 8 to this
application.

16. That from the facts as stated above, it is quite clear that inspite of all legal formality for appointment as Panchayat teacher ^{and} ~~particularly~~ when the petitioner had already acquired Intermediate degree well within three years before coming in to force of Rule 200 which was made effective w.e.f. 1.7.2006 the petitioner was legally entitled to receive concurrence of her appointment for her joining but the reason best known of the authority concerned, for want of concurrence, the petitioner did not join on the post .

17. That from the facts as stated above the petitioner, who has been denied joining for want of concurrence ~~of joining~~ by the collector, ^{of} the District

Magistrate, Madhepura, ^{When} the petitioner who was already
selected and appointed as Shiksha Mitra and was having
requisite qualification well within the period required
^{under Law,} and has suffered for no fault ^{of} her own rather due to fault
of the respondents authority, who did not grant concurrence

18. That in the facts and circumstances as stated
above the petitioner has got no other alternative and
effective efficacious ~~and~~ remedy than to move this
Hon'ble court in it's writ Jurisdiction.

19. That the petitioner has not come to this
Hon'ble court, on any earlier occasion for the relief
sought for in the ^{Present} writ application.

It is, therefore, prayed that your
Lordships may graciously be pleased to
issue rule and thereby call upon the
respondents to show cause as to why not

-16-

the relief sought for in paragraph No.1 to 1
this application may not be granted in
favour of the petitioner and after return
of the rule and show cause if any and after
hearing the parties, allow this application
and thereby and thereunder direct the respon-
-dents to allow joining of the petitioner at
Panchayat Shikchak under the ^{Spirit} ~~provision~~ ^{of} and
the law laid down by this Hon'ble court, or
may pass such other order or orders as you
Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

पत्रांक- 16

दिनांक- 03.06.05

प्रेषक :-

मुखिया ग्राम पंचायत राज मकदमपुर
ग्राम पंचायत मकदमपुर
ग्राम पुरे-11, मेपुरा ।

सेवा में,

प्रधानाध्यक्ष,
मध्य वि०, मकदमपुर ।

विषय :- धरणी नत पंचायत शिक्षा मिस्री को आपके विद्यालय में योगदान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि जिना पदाधिकारी,

मेपुरा के पत्रांक- 197

दिनांक- 15.05.05 के निर्देशानुसार

सूचित पंचायत शिक्षा मिस्री के रोफ्टर के अधीन आपके विद्यालय में नीचे उक्त

सूचित शिक्षा मिस्री को पंचायत द्वारा वचन कर योगदान हेतु भेजा जाता है ।

कृपया योगदान की गुणना पंचायत कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय ।

योगदान पंचायत शिक्षा मिस्री का नाम एवं पता :

पंचायत शिक्षा मिस्री का नाम-	पिता/पति का नाम, पता	विद्यालय का नाम
1. अमिछ कुमार ग्रामपंच०- मकदमपुर	स्व खीताराम प्रसाद	म०वि०, मकदमपुर
2. कुमारी रंजन रानी ग्रामपंच०- मकदमपुर	श्री अमैन्द्र प्र० थाकव	"
3. द्विपीका शिन्हा ग्राम ननशाहिवावासा पंच०- मकदमपुर	श्री निजय कुमार मैहरा	"

जिला - मधुपुरा

विश्वासमान
सीता देवी
मुखिया सह अध्यक्ष
ग्राम पंचायत मकदमपुर ।

एक प्रत पत्रा
4/1
04.06.05

ए ने क स चर " 1/2.

पत्रांक 16 दिनांक 3-6-05

प्रेषक :-

मुस्लिया ग्राम पंचायत राज मकदमपुर

ग्राम पंचायत मकदमपुर

फ़्हाण्ड पुरैनी, म्हेपुरा।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक

मध्य वि. मकदमपुर।

विषय :- चयनित पंचायत शिक्षा मित्रों को आपके विद्यालय में योगदान के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि जिला पदाधिकार म्हेपुरा के पत्रांक 197 दिनांक 15-5-05 के निर्देशानुसार प्रेषित पंचायत शिक्षा मित्रों के रॉस्टर के अधीन आपके विद्यालय में नीचे अंकित पंचायत शिक्षा मित्रों को पंचायत द्वारा चयन कर योगदान हेतु भेजा जाता है। कृपया योगदान की सूचना पंचायत कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय। योगदान पंचायत शिक्षा मित्रों का नाम एवं पता

पंचायत शिक्षा मित्र का नाम	पिता/पति का नाम पता	विद्यालय का नाम
1. अनिल कुमार ग्राम +पं. मकदमपुर	स्व० सीता राम प्रसाद	म. वि. मकदमपुर
2. कुमारी रंजन रानी ग्राम + पो० मकदमपुर	श्री उपेन्द्र प्र० यादव	.

(16)

T.C

3- दिपिका सिन्हा

श्री विजय कुमार मेहता

मो वि० मच्छपुर

पं० मच्छपुर

जिला मधेपुरा।

विश्ववासभाजन

सीता देवी

3-6-05

मुखिया सह अध्यक्ष

ग्राम पंचायत मच्छपुर।

A
Annexure-2

(17)

पृष्ठ 18 / दिनांक 19.6.05

श्री श्रीमान् काशीबाबू मदनपुर
प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल

श्रीमान्

श्री श्रीमान् प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर
मदनपुर।

विषय :- श्रीमान् प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर से दिनांक 19.6.05 को
आदेशानुसार श्री अशुभसिंह प्रसाद के सम्बन्ध में।

विवरण :- श्रीमान् प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर
प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल।

महोदय,

(1308)
29.06.05

अशुभसिंह विषयक के सूचना में कुशीम लखनाई
कि श्रीमान् श्रीमान् मदनपुर प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर
प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर से दिनांक 19.6.05 को
आदेशानुसार श्री अशुभसिंह प्रसाद के सम्बन्ध में।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का नाम श्री अशुभसिंह प्रसाद है।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का पता श्री अशुभसिंह प्रसाद काशीबाबू मदनपुर
प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर है।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का जन्म दिनांक 19.6.05 को
आदेशानुसार श्री अशुभसिंह प्रसाद के सम्बन्ध में।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का नाम श्री अशुभसिंह प्रसाद है।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का पता श्री अशुभसिंह प्रसाद काशीबाबू मदनपुर
प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर है।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का जन्म दिनांक 19.6.05 को
आदेशानुसार श्री अशुभसिंह प्रसाद के सम्बन्ध में।

अतः श्रीमान् प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर से दिनांक 19.6.05 को
आदेशानुसार श्री अशुभसिंह प्रसाद के सम्बन्ध में।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का नाम श्री अशुभसिंह प्रसाद है।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का पता श्री अशुभसिंह प्रसाद काशीबाबू मदनपुर
प्रदेस पुलिस प्रिन्सिपल काशीबाबू मदनपुर है।
श्री अशुभसिंह प्रसाद का जन्म दिनांक 19.6.05 को
आदेशानुसार श्री अशुभसिंह प्रसाद के सम्बन्ध में।

विशेषात्

सीतादेवी
18/6/05
प्रिन्सिपल
मदनपुर

J.L.

17

ए नै क स चर " 2 "

पत्रांक 18/दिनांक 10-6-05

ग्राम पंचायत कार्यालय मकदमपुर

प्रखंड पुरैनी जिला म्हेपुरा ।

सेवा में,
श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
म्हेपुरा ।

विषय :- पंचायत शिक्षा मित्र महिला मैट्रिक पास चयनित अभ्याथी के अनुमति प्रदान के संबंध में ।

प्रेषित :- मुखिया ग्राम पंचायत राज मकदमपुर
प्रखंड पुरैनी

महाशय,
उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि ग्राम पंचायत मकदमपुर में पंचायत शिक्षा मित्र पर महिला कुल 8 अभ्याथी को चयन करना था जिसमें 4 अनारक्षित 4 अन्तयस्त पिछड़ी । पिछड़ी एव । अनुसूचित जिसमें चयनोप्राप्त 4 अनारक्षित में से एक मैट्रिक पास महिला रोस्टर के आधार पर चयन किया गया है। जिसका नाम श्री मति दिपिका सिन्हा पति श्री विजय कुमार मेहता ग्राम मकदमपुर नवगठिया वास पंचायत मकदमपुर की निवासी हूँ। तथा अत्यन्त पिछड़ी वर्ग 5 के 2 महिला । श्री मति कंचन देवी पति श्री कौशल शर्मा § 2 § श्री मति रंजन कुमारी पति श्री मणिकान्त कुमार को परीक्षा थी का चयन किया गया है तथा । पिछड़ा वर्ग और । अनुसूचित अभ्याथी का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पद रिक्त स्थान रखा गया है।

T-0

(17)

2-

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि श्रीमति दिपिका सिन्हा पति श्री विजय कुमार मेहता का इस आवेदन के साथ अपना शपथ पत्र दाखिल किया है कि अगले तीन वर्षों के अन्दर इन्टर पास कर जाउगी इस के शपथ पत्रको देखते हुये इन्हें प्रविद्यालय में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सीता देवी

18-6-05

मुद्रिया

ग्राम पंचायत मकदमपुर

प्रखंड पुरैनी ।

Annexure-3

(19)

अमाहरणालय, मधुपुरा
जिला विकास शाखा
पत्रिक 446-1/ति0

प्रेषक:-
अधीनकारी पदाधिकारी,
जिला विकास, मधुपुरा।
सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
-सह-
कार्यक्रम समन्वयक, मधुपुरा।

मधुपुरा, दिनांक 21/7/2005.

विषय:-
शिक्षामित्र के नियुक्ति में
के संबंध में।

रूप पास चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन

महोदय,
अधुना विभाग कुशिया ग्राम पंचायत मकदमपुर, पुरैनी एवं मुसिया
ग्राम पंचायत, रघुनाथपुर, मुरलीगंज से प्राप्त पत्र जो मैट्रिक पास अभ्यर्थी का नाम कर
अनुमोदन हे करने हेतु प्राप्त हुआ है। को स्वीकार कर भेजा जाता है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त पत्र में चयनित शिक्षामित्र के
अनुमोदन हेतु अपना नैतब्य अवोदस्ताक्षरी को अलग सुनिश्चित करें, ताकि अनुमोदन
हेतु अग्रोत्तर कार्रवाई की जा सके।

विश्वास भाजन,

अनुलग्नक:-
§ 18 श्री विजय गान्धव, मुआतापं0, रघुनाथपुर,
मुसियागंज
§ 28 सी ता देवी, मुआतापं0, मकदमपुर, पुरैनी।

अधीनकारी पदाधिकारी,
जिला विकास, मधुपुरा।

ए ने क स चर " 3"

समाहरणालय , मधेपुरा

जिला विकास शाखा

पत्रांक 446 / वि०

प्रेषक: -

प्रभारी पदाधिकारी

विकास मधेपुरा।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक

-सह-

कार्यक्रम समन्वयक , मधेपुरा।

मधेपुरा दिनांक 2-7-2005

विषय: - शिक्षा मित्र के नियुक्ति में एक पास चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुखिया ग्राम पंचायत मकदमपुर पुरैनी एवं मुखिया ग्राम पंचायत , रघुनाथपुर मुरलीगंज से प्राप्त पत्र जो मैट्रिक पास अभ्यर्थी का चयन कर अनुमोदन करने हेतु प्राप्त हुआ है। को संलग्न कर भेजा जाता है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त पत्र में चयनित शिक्षा मित्र के अनुमोदन हेतु अपना मंतव्य अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करे ता कि अनुमोदन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक :-

1. श्री विजय यादव मु. शा. प. रघुनाथपुर
मुरलीगंज

2. सीता देवी मु. प्रा० पं० मकदमपुर पुरैनी।

विश्वास भाजन

हो अस्पष्ट ट

प्रभारी पदाधिकारी

विकास मधेपुरा।

प्रमाण - 63-1 /

प्रेषक : प्रवेड शिक्षा प्रसारण विभाग

सह
महल संसाधन के-२ धर्मनगर पुणे

सेवा में विभागाध्यक्ष, महिला शिक्षा

विभागाध्यक्ष संसाधन, मातोश्री

पुणे प्रमाण २०१५

विषय : मैट्रिक पास महिला के शिक्षा विभाग में नियोजन हेतु प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।

माहशाय,

वर्ष २०१५ में मुंबई ग्रामपंचायत
महल में पुणे द्वारा प्रस्तावित शिक्षा विभाग नियोजन हेतु
आवेदन पर माप दुबली प्रस्ताव में संश्लेषित महिला
अभ्यर्थी के इंटर पास की होने की स्थिति में १५ दिनों
जामिनी महिला को मैट्रिक पास के मा प्रस्ताव अनुमोदन
हेतु आवश्यक कार्रवाई में प्रस्तुत किया गया है।
रेस्कॉ के प्रस्ताव (सी.डी.सी.) दिनांक १५/०५/१५
द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया है शिक्षा विभाग
नियोजन हेतु अनुमोदन हेतु आदेश संख्या १५५/१५
अतः प्रस्ताव एवं आदेश संख्या १५५/१५

विशेषज्ञता

महल, पुणे
सह
महल प्रशासनिक, पुणे
दिनांक

T. 6: (19)
ए ने क स चर " 4"

पत्रांक 63-1/

प्रेषक :- प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी

- सह -

प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक पुरैनी

सेवा में ,

जिला शिक्षा अधीक्षक

-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक मधेपुरा

पुरैनी दिनांक 2 अगस्त 2005

विषय :- मैट्रिक पास महिला के शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में मुरलिंगंज ग्राम पंचायत मकदमपुर द्वारा प्रस्ता-
वित शिक्षा मित्र नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में अंकित महिला
अभ्यर्थी के इंटर पास नहीं होने की स्थिति में पिछड़ी जाति महिला जो मैट्रिक
पास है का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भवदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। रोस्-
टर के आधार पर श्रीमति दिपिका देवी पति विजय कुमार मेहता ग्राम नवगठिया
अस्पष्ट में शिक्षा मित्र नियोजन हेतु अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त है।

अतः सूचना र्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

हो अस्पष्ट



Amn... 5

P. C. No. 099381

20

BIHAR INTERMEDIATE EDUCATION COUNCIL



PROVISIONAL CERTIFICATE INTERMEDIATE EXAMINATION, 2006

Certified that... RIPKA SINHA.....

Son/Daughter of... BRAHMA DEO PRASAD SINHA.....

Roll Code 6313 No. 10411 Enlistment No. R-6313-0850/04

of C.M.S.C COLLEGE, MADHEPURA.....

passed the Intermediate... SCIENCE..... Examination, 2006

held in the month of... MARCH..... 2006 and has been placed in

SECOND

Division.

Subjects Offered

COMPULSORY

Rashtra Bhasha Hindi

English

OPTIONAL

Physics

Chemistry

Biology

Additional

Dated : 31-05-2006


PATNA-800 001

Sri Shiva chandra Tewary
Secretary

(21)

Annexure-5

M.S. No. 145827



BIHAR INTERMEDIATE EDUCATION COUNCIL

MARKS SHEET INTERMEDIATE EXAMINATION, 2006

The following are the marks obtained by **DIPIKA SINHA**

of **G.M.S.C COLLEGE, MADHEPURA**

Roll Code **6313** No. **10411** Enlistment No. **R-6313 0850/04** at the

Annual Intermediate **SCIENCE** Examination, 2006 held in the month of **MAR**, 2006

SUBJECT NAME	Full Marks	Pass Marks	MARKS OBTAINED						Subject Total
			Paper I	Paper II	Theory Total	Practical Marks	R		
							Th.	Pr.	
1. COMPULSORY :									
Rashtra Bhasha Hindi	100	30	40		048				048
English	200	60	50	52	102				102
2. OPTIONAL :									
Physics	200	65	24	36	060	41			101
Chemistry	200	65	32	41	073	40			113
Biology	200	65	24	34	058	20+20			078
3. ADDITIONAL :									
AGGREGATE MARKS :	Four Hundred sixty two								462
RESULT :	2nd DIV								

Sd/- *Shri. Anand Chandra Bandyopadhyay*
Secretary

31-05-2006

00001

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा।

विषय:- प्रखण्ड पुरैनी ग्राम-पंचायत म्कदम्पुर अन्तर्गत मैट्रिक पास महिला पं० शिक्षा मित्र चयनोपरान्त इन्टर पास के बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि ग्रा०पं० म्कदम्पुर अन्तर्गत वर्ष 2005 में रौस्टर के आधार पर श्रीमति दिपिका सिन्हा पति विजय कु० श्रि मेहता का चयन कर मध्य वि० म्कदम्पुर में नियोजन कर सरकारी निर्देश का पालन करते हुए माननीय मुखिया जी० ग्रा० पं० म्कदम्पुर अनुमति हेतु श्रीमान् के कार्यालय में भेजा गया था। कार्यालय के ज्ञापक सं०-1308 दिनांक 27.6.05 है। श्रीमान् के जिला विकास शाखा पत्रांक-446, दिनांक 02.7.05 के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा कार्यालय - अनुमोदन हेतु भेजा गया। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के आदेश पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पुरैनी के पत्रांक-63-1, दिनांक 02.8.05 के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा को अनुमति कर अपना मन्तव्य भेजा गया है। इन दरमियां में अपना इन्टर उत्तीर्ण भी कर चुकी हूँ। इन्टर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पंचायत कार्यालय को समर्पित कर चुकी हूँ। परन्तु आज तक मेरा योगदान विद्यालय में नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान् से तादर अनुरोध है कि ग्रा०पं० म्कदम्पुर को आदेश दिया जाय कि मेरा योगदान मध्य वि० म्कदम्पुर में हो सके। इसके लिए श्रीमान् का सघ आभारी बनी रहूँगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :-
=====

1. शपथ-पत्र का छाया प्रति
2. माननीय मुखिया ग्रा०पं० म्कदम्पुर का अनुमति आवेदन का छाया प्रति
3. जिला विकास शाखा मधेपुरा का छाया प्रति
4. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पुरैनी के आदेश का छाया प्रति
5. माननीय मुखियाजी द्वारा मध्य विद्यालय, म्कदम्पुर को चयनित सूची का छाया प्रति।
6. इन्टर उत्तीर्ण का छाया प्रति।
7. शिक्षा मित्र नियुक्ति नियमावली का छाया प्रति।

दिपिका सिन्हा
पति विजय कुमार मेहता
ग्राम- नवगछिया टोला
ग्रा०पं०- म्कदम्पुर
प्रखण्ड- पुरैनी
जिला - मधेपुरा

ए ने क स चर "6"

T.C.

22

सेवा में,
श्रीमान्, जिला पदाधिकारी महोदय,
म्होपुरा ।

विषय :- फ़ाउण्ड पुरैनी ग्राम पंचायत मक्दमपुर अन्तर्गत मैट्रिक पास महिला
पं० शिक्षा मित्र चयनोपरान्त इन्टर पासके बाद भी आज तक
नियुक्ति पत्र नहीं देने के संबंध में।

महाशय,
सविनय निवेदन यह है कि ग्राम पं० मक्दमपुर अन्तर्गत वर्ष 2005में
रोस्टर के आधार पर श्रीमति दिपिका सिन्हा पति विजय कुमार मेहता का
चयन कर मध्य वि० मक्दमपुर में नियोजन कर सरकारी निर्देश का पालन करते
हुए माननीय मुखिया जी. ग्राम पं० मक्दमपुर अनुमति हेतु श्रीमान् के कार्यालय
में भेजा गया था। कार्यालय के ज्ञापक सं० -1308 दिनांक 27-6-05 है। श्रीमान्
के कार्यालय में भेजा गया था। कार्यालय के ज्ञापक सं०-1308 दिनांक
27-6-05 है। श्रीमान् के जिला विकास शाखा पत्रांक 446 दिनांक 2-7-05 के
आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, म्होपुरा कार्यालय अनुमोदन हेतु भेजा गया।
जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के आदेश पर फ़ाउंड शिक्षा प्रसाह पदाधिकारी
पुरैनी के पत्रांक -63-1 दिनांक 2-8-05 के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक
म्होपुरा को अनुमोदना कर अपना मन्तव्य भेजा गया है। इस दरमियान में अपना
इन्टर उत्तीर्ण भी कर चुकी हूँ। इन्टर उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र पंचायत कार्यालय
को समर्पित कर चुकी हूँ। परन्तु आज तक मेरा योगदान विद्यालय में नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि ग्रा० पं० मक्दमपुर को आदेश
दिया जाय कि मेरा योगदान मध्य वि० मक्दमपुर में हो सके। इसके लिए
श्रीमान् का सदा आभारी बनी रहूँगी ।

अनुलग्नक :-

विश्वास भाजन

1. शपथ -पत्र का छायाप्रति।
2. माननीय मुखिया ग्रा० पं० मकदमपुर का अनुमति आवेदन का छायाप्रति।
3. जिला विकास शाखा म्हेपुरा का छायाप्रति
- 4-फ़ंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पुरैनी के आदेश फ़ंड पुरैनी का छाया प्रति।
5. माननीय मुखिया जी द्वारा मध्य विद्यालय मकदमपुर को चयनित सूची का छायाप्रति।
6. इन्टर उत्तीर्ण का छायाप्रति।
7. शिक्षा मित्र नियुक्ति नियमावली का छायाप्रति।

१ दिपिका सिन्हा १

पति विजयकुमार मेहता

ग्राम नवगछिया टोला

ग्राम पंचायत मकदमपुर

फ़ंड पुरैनी

जिला म्हेपुरा।



प्रेषक :- पीठासीन पदाधिकारी,
जिला शिक्षक नियोजन,
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

सेवा में:



जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(स्थापना), मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 30.05.14

वांछित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक निम्नांकित अपील में विगत कई तिथियों से प्रतिवेदन की मांग की जा रही है जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण अपील लंबित चल रहा है। अपील का ब्योरा निम्न प्रकार है :-

क्रम	अपील सं०	नियोजन वर्ष	नियोजन इकाई	मांगी ज. रही प्रतिवेदन
1	11	2005	ग्राम पंचायत- मकदमपुर प्रखंड- पुरैनी (दिपिका सिन्हा)	जिला विकास शाखा के पत्रांक- 46, दिनांक- 02. 07.05 के आलोक में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रतिवेदन दिनांक 01-07-14 को अनिवार्य रूप से भेजा जाय जिससे अपील का निष्पादन हो सके।

विश्वासभाजन
जिला शिक्षक नियोजन,
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

9844 7126694

GOVT OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE MADHEPURA

STAMP DUTY
00000

BIHAR JUDICIAL

374150

0000010

-7.2.2015

BIHAR

Authorization No. 2037

9833 9624451

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

अपील संख्या ...11 वर्ष....2011

दिपिका सिन्हा..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य..... उत्तरवादी

आदेश

30.03.2015:1. यह अपील दिपिका सिन्हा, पति- विजय कुमार मेहता, ग्राम- नवगछिया टोला, पो0+पंचायत- मकदमपुर, प्रखंड वो थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी का चयन पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर ग्राम पंचायत- मकदमपुर, प्रखंड+थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा अन्तर्गत वर्ष 2005 में रोस्टर के आधार पर मध्य विद्यालय, मकदमपुर में हुआ था। पत्रांक 16 दिनांक 03.06.2005 के द्वारा तत्कालीन मुखिया-सह-अध्यक्ष, ग्राम पंचायत- राज मकदमपुर, प्रखंड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा श्रीमति सीता देवी द्वारा प्रधानाध्यापक, म0 वि0 मकदमपुर को अपीलार्थी, दिपिका सिन्हा एवं अन्य 02 नामों को पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर चयन कर योगदान लेने हेतु भेजा गया था। उक्त पत्र संबंधित विद्यालय में प्राप्त भी हुआ।

02. आवेदन में आगे कहा गया है कि चूंकि यह अपीलार्थी सिर्फ मैट्रिक पास थी। इसलिए इनका योगदान लेने हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्रांक 18 दिनांक 18.06.2005 को मुखिया ने जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को भेजा तत्पश्चात अपीलार्थी के चयन से 03 वर्षों में इंटर पास करने के शपथ-पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय से जिला विकास शाखा के पत्रांक 446-02/वि0 प्रषक प्रभारी पदाधिकारी, विकास मधेपुरा दिनांक 02.07.2005 को अनुमोदन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी- कार्यक्रम समन्वयक अधीक्षक, मधेपुरा को भेजा गया ताकि अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई हो सके। परन्तु उक्त अनुमोदन मुखिया को उपरोक्त पदाधिकारी ने नहीं भेजा फलस्वरूप अपीलार्थी का योगदान शिक्षा मित्र में नहीं लिया गया तब उसने यह वाद इस न्यायालय में दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थना की गयी है कि "विपक्षीगण को आदेश दिया जाय कि विपक्षीगण यथाशीघ्र अनुमोदन दे ताकि अपीलार्थी संबंधित विद्यालय में योगदान कर सके।
03. गत तिथि को विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में आवेदन में वर्णित बातों पर बल दिया एवं उक्त प्रार्थना को निवेदित किया।
04. अभिलेख का अवलोकन विद्वान अधिवक्ता के तर्क के आलोक में करने पर मैं पाता हूँ कि शिक्षामित्र में इस आवेदिका ने योगदान अनुमोदन के आभाव में नहीं किया है।



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

A uthorization No. 2037

भारत



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. 0000010

374150

बिहार
JUDICIAL

27.3.2015

BIHAR

Zero*Zero*Zero*Zero*OneZero**

5375 8821585

05. वर्तमान समय में बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 108 दिनांक 01.02.07 का जिक्र करना इस अपील में आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त पत्र में कहा गया है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006 के प्रभावी होने की तिथि से पंचायत शिक्षामित्र के रूप में नियोजन संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व की नियमावली रद्द हो गये हैं। अतएव दिनांक 01.07.06 के बाद शिक्षामित्र के रूप में योगदान संभव नहीं है, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निर्णय जो 2011 (4) PLR 297 में छपा है, जो रेणु कुमारी पाण्डेय एवं अन्य से संबंधित है में भी स्पष्ट कहा गया है कि "No Person Can be Appointment on the post of Siksha mitra after 01.07.2006" उपरोक्त कारण से भी इस अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।
अतः वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।



Sharmistha
पीठासीन पदाधिकारी,
जिला अपीलीय प्राधिकारी,
मधेपुरा। 30.3.15

Certified to be a true

Head Clerk
S 76 Act, 1 of 1872

प्रमाणिकरण शुल्क
11210
गुलन लिपिक

COMPARED BY
Comparing Clerk

Application For Copy Rs. 10 P. 10
Searching Fee.....
Copies Fee for Urgency.....
Folios.....
Other Fee if any.....
Comparing Clerk

8549 883588
JUDICIAL
2.4.2015
BIHAR
Stamp Duty
00000
RS. 0000005
374150
INDIA **Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Five***
GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत
Stamp Duty
00000
RS. 0000005
374150
INDIA **Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Five***
बिहार
JUDICIAL
2.4.2015
BIHAR

A F F I D A V I T

I, Deepika Sinha, Aged about 38 Years, Wife of Vijay Kumar Mehta, Resident of village:-Navgachhiya Tola, P.S:-Puraini, District:-Madhepura, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I fully understood the same.
3. That the statement made in paragraph Nos. 3, 5, 7, 12, 13, 16-19. are true to my knowledge and those made in paragraph Nos. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, are true to my information and derived and rest are by way of submission.
4. That the annexures are true /photo copies of their originals respectively.

दीपिका सिन्हा